

## कृष्णा जल विवाद

### प्रलिस के लयः

कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण- II (KWDT-II), [अंतर-राज्य नदी जल वलवद अधनलयम \(ISRWD\)-1956](#), कृष्णा नदी, [भारतीय संवधान का अनुच्छेद 262](#)

### मेन्स के लयः

कृष्णा जल वलवद, कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण-II, अंतर-राज्यीय जल वलवद

[स्रोतः पी. आई. बी.](#)

### चरचा में क्यौं?

केंद्रीय मंत्रमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश (AP) राज्यों के बीच नरिणय हेतु [अंतर-राज्य नदी जल वलवद अधनलयम \(ISRWD\)-1956](#) के तहत मौजूदा कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण- II (KWDT-II) के लयः एक अन्य [संदरभ की शरतौं \(ToR\)](#) के मुददे को मंजूरी दे दी है ।

### कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण-II (KWDT-II):

- कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण-II का गठन केंद्र सरकार द्वारा अपरैल 2004 में ISRWD अधनलयम, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबंधित [जल-वतरण/नरिंत्रण वलवदौं को नपिटाने और सुलझाने के लयः](#) कयःा गया था ।
- इसका गठन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश [राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल-वतरण/नरिंत्रण](#) वलवद का समाधान करने के लयः कयःा गया था ।
- KWDT-II ने जल की उपलब्धता, राज्यों को इसकी आपूर्ति और अन्य प्रासंगिक कारकौं के आधार पर [कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनशरिचति](#) कयःा । इसने प्रत्येक राज्य को एक नशरिचति मात्रा में जल उपलब्ध कराया, इसमें उस प्रत्येक हस्रिसे को रेखांकति कयःा गया जसि वे प्राप्त करने के हकदार थे ।

### कृष्णा जल वलवदः

- **परचयः**
  - कृष्णा जल वलवद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच [कृष्णा नदी के जल के न्यायसंगत वतरण पर केंद्रति](#) है ।
  - कृष्णा नदी इन राज्यों से होकर बहती है और वलवद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण राज्यों की अलग-अलग ज़रूरतौं, ऐतहिसकिक मतभेद और राजनीतिक व प्रशासनिक परदृश्य में बदलाव है ।
- **पृष्ठभूमिः**
  - **वलवद का केंद्रः** आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थति शरीशैलम बाँध [वलवद का प्रमुख केंद्र](#) है । आंध्र प्रदेश ने वदियुत उत्पादन के लयः शरीशैलम बाँध के जल के तेलंगाना द्वारा उपयोग का वरिध कयःा ।
  - **वलवद की पृष्ठभूमिः** इस वलवद का संबंध वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से है और इसका समाधान वर्ष 1973 में [कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण \(KWDT\)](#) के माध्यम से कयःा गया था । कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटति करने के लयः वर्ष 2004 में [दूसरे कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण](#) की स्थापना की गई थी ।
  - **KWDT आवंटन (वर्ष 2010):** दूसरे कृष्णा जल वलवद न्यायाधकरण द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तुत की गई रपिर्ट में कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर **65% नरिभरता** और अधशेष प्रवाह के लयः नमिनानुसार कयःा गयाः
    - महाराष्ट्र के लयः 81 हजार मलयिन घन (TMC) फीट, कर्नाटक के लयः 177 TMC और आंध्र प्रदेश के लयः 190 TMC ।
  - **आंध्र प्रदेश की चुनौतियौं:** वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश ने एक वशेष अनुमति याचकिका सहति कानूनी कारयवाही के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष KWDT द्वारा कयःे गये आवंटन को चुनौती दी ।

- वर्ष 2013 में KWDT ने एक **अन्य रपिर्ट** जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फरि से **सर्वोच्च न्यायालय** में चुनौती दी गई।
- तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने चार राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि **तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था**। इसलिये जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिससे में से होना चाहिये, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
- **संवैधानिक ढाँचा:**
  - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनियमन का प्रावधान करता है, जिसे संसद को इस उद्देश्य के लिये कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
  - **अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिये तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा।
  - यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये परियोजना-वार जल आवंटित करेगा।

## कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के नजिक होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **दूरेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कि.मी.), उत्तरी कर्नाटक (480 कि.मी.) और शेष 1300 कि.मी. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:**
  - **दाई ओर की सहायक नदियाँ:** घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
  - **बाई ओर की सहायक नदियाँ:** भीमा, मुसी और मुन्नेरु।



- **जलवदियुत विकास:**
  - कृष्णा नदी बेसनि में प्रमुख जल वदियुत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं।
- **पौराणिक महत्त्व:**
  - कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगनीतंत्र (एक तांत्रिक ग्रन्थ) में कृष्णवेणी के नाम से जाना जाता है।
  - इसे **जातकों और खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में कान्हापेन्ना** के नाम से भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute-1>

